UPSI120001442024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-40/ 2024

जलीस अहमद आदि बनाम मोहम्मद सलाम आदि।

दिनाँक 05.02.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादीगण पैरवी करें। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनाँक 11.03.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनाँक 21.03.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6ग^{2}

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग^{2} अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद के निस्तारण तक के लिए भूमि स्थान ग्राम सेमराखुर्द, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर की गाटा संख्या 34 रकबा 0.494 हे० में वादीगण के शान्तिपूर्ण स्वत्व, अध्यासन, कब्जा व उसकी उपयोगिता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, हस्तक्षेप करने, पेड़ों को काटने, कब्जा व निर्माण करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में सूची 11ग^{1} से एक किता खतौनी गाटा संख्या 34 रकबा 0.494हे० भूमि स्थित ग्राम सेमराखुर्द, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर व एक किता खसरा गाटा संख्या 34 रकबा 0.494 भूमि स्थित सेमराखुर्द, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण की ओर से सूची 11ग^{1} से दाखिल खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 34 रकबा 0.494हे० राजस्व अभिलेखों मे वादीगण के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 6ग^{2} के समर्थन में एवं विवादित भूमि पर अपने अध्यासन

के समर्थ में शपथ पत्र 7ग^2 एवं का०सं० 13ग^1 खसरा दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा दाखिल राजस्व प्रपत्रों तथा शपथ-पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादीगण का बनता है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत न्यायहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नियत तिथि तक के लिए प्रतिवादीगण को वादीगण की उपरोक्त भूमि गाटा संख्या 34 रकबा 0.494हे० स्थित ग्राम सेमराखुर्द, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर के किसी भी अंश पर जबरन कब्जा करने व निर्माण करने से प्रतिवादीगण को निषेधित कर दिया जाये। तद्नुसार इस स्तर पर विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अग्रिम नियत तिथि तक प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वह वादीय भूमि गाटा संख्या 34 रकबा 0.494हे० स्थित ग्राम सेमराखुर्द, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। यह आदेश मात्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। इस आदेश का प्रभाव सीमांकन कराने वाले सक्षम प्राधिकारी पर नहीं पड़ेगा। वादीगण आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन अविलम्ब करें। वादीगण के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग^2 दिनाँक 29.02.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8ग^2

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 8ग^2 बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8ग^2 स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। कमीशन कार्य हेतु वादीगण आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.02.05 17:31:07 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan